न्यायालय: सिविल न्यायाधीश, श्रीकोलायत, जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :: पारूल पारीक, आर.जे.एस
विविध दीवानी संख्या :: 58/2025
सी.आई.एस.नम्बर :: 58/2025

अशोक कुमार पुत्र भोमाराम निवासी बज्जू खालसा तहसील बज्जू जिला बीकानेर

–प्रार्थी

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र भोमाराम निवासी बज्जू खालसा तहसील बज्जू जिला बीकानेर
2. दिनेश पुत्र भोमाराम निवासी बज्जू खालसा तहसील बज्जू जिला बीकानेर

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी सपठित धारा 151 जा.दी.

उपस्थितः–

1. श्री नरेन्द्र कुमार बेनीवाल, विद्वान अधिवक्ता, प्रार्थी की ओर से।
2. श्री चोरूराम, विद्वान अधिवक्ता, अप्रार्थी सं. 1 की ओर से।
3. श्री ओमप्रकाश आचार्य, विद्वान अधिवक्ता, अप्रार्थी सं. 2 की ओर से।

:: निर्णय:: **दिनांकः 13.03.2026**

1. प्रार्थी की ओर से अप्रार्थीगण के विरूद्ध शाश्वत व्यादेश का एक वाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। जिसके साथ ही उसने आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता अस्थाई व्यादेश का प्रार्थना प्रस्तुत किया है। जिसका अब निस्तारण किया जा रहा है।

तथ्य प्रार्थना पत्रः–

2. प्रार्थना–पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी सगे भाई एवं ग्राम बज्जू खालसा के वासिन्दे है। प्रार्थी की ग्राम बज्जू खालसा में चल व अचल संपत्ति मौजूद है। उक्त सम्पति विरासतन प्राप्त होने पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी के पिता भीयाराम के द्वारा तमाम संपति का मौखिक रूप से बंटवारा करते हुये अपने जायज वारिसान में विभाजित कर दी। विभाजन के बाद प्रार्थी व अप्रार्थी व अन्य जायज वारिसान अपने अपने हिस्से पर काबिज हो गये। पारिवारिक विभाजन में प्रार्थी के हिस्सा में बज्जू खालसा में स्थित मिस्त्री मार्केट में कुल चार दुकाने व गोदाम आया, जिसके आसा पासा प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 4 में वर्णित है। प्रार्थी वर्ष 2014 से उक्त उक्त दुकानो व गोदाम में अपना व्यवसाय संचालित कर

रहा हैं। प्रार्थी वर्तमान में अशोक आयरन स्टोर व इलैक्ट्रिक समान का व्यवसाय कर रहा हैं तथा गोदाम का उपयोग उक्त सामान के स्टोरेज में कर रहा है। प्रार्थी के नाम से अशोक आयरन स्टोर फर्म के नाम से भारत सरकार द्वारा जीएसटी नम्बर भी जारी है। जिसका रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्रार्थी के नाम से जारी किया हुआ हैं। वर्तमान में उक्त वादगत सम्पति का बाजार मूल्य बढ़ जाने के कारण अप्रार्थी के मन में लालच आ गया है और इसी लालच से वशिभुत होकर प्रार्थी के हिस्से में आये उक्त दुकानो व गोदाम पर नाजायज तरीके से कब्जा करने को आमादा है जिसका उसे कोई कानूनी अधिकार हासिल नही हैं। अप्रार्थी पिछले कुछ समय से आये दिन दुकानो पर आकर लडाई झगडा करता है जिससे प्रार्थी के व्यवसाय में बार बार व्यवधान उत्पन हो रहा हैं। दिनांक 20.07.2025 को अप्रार्थी मौके पर आया तथा प्रार्थी को धमकी दी की उक्त दुकाने खाली कर दे अन्यथा जबरदस्ती सारा सामान बाहर फेंक देगा प्रार्थी द्वारा समझाने पर नहीं माना तथा लडाई झगडा करने लगा। प्रार्थी व आस पड़ौस के दुकानदारो के भारी विरोध स्वरूप अप्रार्थी दुकानो पर कब्जा करने में कामयाब नहीं हो सका। अप्रार्थी ने अपने राजनैतिक व आर्थिक ताकत के बल पर पुलिस थाना बज्जू से सांठ गांठ कर सम्पति को विवादग्रस्त बताकर दुकानों को अस्थाई रूप से बन्द करवा दिया हैं जिससे प्रार्थी का व्यवसाय पिछले एक माह से बन्द हो गया है। व्यवसाय बन्द होने से प्रार्थी को भारी अपूर्णीय क्षति कारित हो रही हैं। प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या मामला बनना पाया जाता है व सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ताफैसला मूल वाद अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावें कि प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 4 में वर्णित प्रार्थी के पारिवारीक बंटवारे में आयी दुकाने व गोदाम जिसके आसा पासा व गजगत पैरा में वर्णित हैं से बेदखल नही करे, कब्जा नहीं करे, तोड़फोड़ नहीं करे, प्रार्थी के उपयोग उपभोग में अप्रार्थी कोई बाधा उत्पन्न नहीं करें, ना ही किसी अन्य से करावें, प्रार्थी को दुकानो व गोदाम में प्रवेश करने से नहीं रोके। इसके अतिरिक्त अपने कथनों के समर्थन में प्रार्थी ने निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया–

Jitendra Vaishnav Vs Radheyshyam S.B. Civil Writ Petition No. 242/2024

<u>तथ्य संक्षेप में जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं. 1–</u>

3. इसके विपरीत अप्रार्थी सं. 1 ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का खंडन करते हुए जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 के मध्य यह समझौता हुआ था कि प्रार्थी बज्जू स्थित उसके हिस्से में आयी चार दुकानों से होने वाले व्यावसायिक लाभ में से 20 प्रतिशत हिस्सा अप्रार्थ संख्या 1 को अदा करेगा। प्रार्थी ने वर्ष 2014 से प्रति

वर्ष दुकानों से होने वाली आय में से 20 प्रतिशत राशि का भुगतान वर्ष 2023 तक अप्रार्थी सं. 1 को किया, इसके पश्चात प्रार्थी ने लाभ में से 20 प्रतिशत राशि का हिस्सा देने से इन्कार कर दिया था। अप्रार्थी सं. 1 ने प्रार्थी को दुकानों व गोदाम से बेदखल कर कब्जा करने का प्रयास नहीं किया गया है। अप्रार्थी सं. 1 ने प्रार्थी को कभी वादगत दुकानों से बेदखल करने की धमकी नहीं दी ना ही उक्त दुकानों पर कब्जा करने का प्रयास किया। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

<u>तथ्य संक्षेप में जवाब प्रार्थना पत्र मय काउंटर क्लेम अप्रार्थी सं. 2–</u>

4. इसके विपरीत अप्रार्थी सं. 2 ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का खंडन करते हुए जवाब प्रार्थना पत्र मय काउंटर क्लेम प्रस्तुत कर कथन किया कि मिस्त्री मार्केट, मुख्य रोड़, ग्राम बज्जू स्थित वादग्रस्त चार दुकाने प्रार्थी व अप्रार्थीगण के पिता श्री भोमाराम के पुराने कब्जे की दुकाने हैं, जिन्हें भोमाराम ने अपनी स्वोपार्जित आय से निर्मित करवाया था। इस प्रकार उक्त चारों दुकानों के वास्तविक स्वामी श्री भोमाराम हैं। वादग्रस्त दुकानों के बाबत् प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के पिता श्री भोमाराम ने कभी कोई पारिवारिक व्यवस्था नहीं की। अपितु अपनी इच्छानुसार एक दुकान अपने परिचित मिस्त्री को किराये पर दे रखी है। जिसमें वह लेथ मशीन का कार्य करता है तथा दो दुकान को संयुक्त रूप से प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 2 को अपने अपने स्वतन्त्र व्यवसाय हेतु दे रखा है तथा चौथी दुकान अप्रार्थी सं. 2 को अपने दुकान के सामान रखने के लिए गोदाम के रूप में दे रखी है। दोनों भाई उक्त दोनों दुकानों में पृथक पृथक व्यवसायिक नाम से व्यापार संचालित कर रहे है। उक्त दोनों दुकानों में प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 2 का सामान पड़ा रहता है। इस हेतु अप्रार्थी सं. 2 के नाम की फर्म के कई बिल मौजूद हैं जिसमें कई सामान के बैच नम्बर भी अंकित है। उक्त सभी सामान वादग्रस्त दुकानो में ही पड़ा है। अप्रार्थी सं. 2 एवं प्रार्थी के मध्य कतिपय कारणों से विवाद पैदा हो गया। आज तक प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के पिता श्री भोमाराम ने उक्त दुकानों के बाबत् कभी कोई पारिवारिक व्यवस्था नहीं की है। वादग्रस्त दुकान में अप्रार्थी सं. 2 की फर्म मैसर्स महालक्ष्मी ट्यूबवैल स्टोर का व्यवसाय भी संचालित हो रहा है तथा उसमें अप्रार्थी सं 2 की फर्म का लगभग 40–50 लाख का सामान पड़ा है जिसके बिल अप्रार्थी सं. 2 के पास उपलब्ध है। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 08.09.2025 को जारी यथास्थिति के आदेश की आड़ में अप्रार्थी से 2 को उक्त दुकान में घुसने नहीं दे रहा है तथा उसमें पड़े अप्रार्थी सं. 2 के सामान को खुर्द बुर्द करने में लगा है। उक्त दुकानों में दोनों भाईयों का संयुक्त रूप से व्यापार संचालित हो रहा था तथा दोनों भाईयों के मध्य अगाध प्रेम का सम्बन्ध था इस कारण उस पर अशोक आयरन स्टोर के पहले से लिखे

नाम पर अप्रार्थी सं. 2 ने कभी कोई आपत्ति नहीं की तथा उसके नीचे ही महालक्ष्मी ट्यूबवैल स्टोर नाम का छोटा बोर्ड टांग दिया। परन्तु प्रार्थी ने वाद करने से पूर्व अप्रार्थी सं. 2 के बोर्ड को हटाकर मौके के फोटो खींच लिए। इस कारण उसमें अप्रार्थी सं. 2 का बोर्ड नहीं आ पाया तथा अब प्रार्थी माननीय न्यायालय के स्थगन की आड़ में अप्रार्थी सं. 2 को अपना बोर्ड भी वापिस लगाने नहीं दे रहा है। उपरोक्त वर्णित विवरण, जी.एस.टी. विभाग के पंजीयन प्रमाण पत्र एवं माननीय न्यायालय द्वारा इन्वेंटरी हेतु भेजे गये कमिश्नर की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि वादग्रस्त दुकानों में अप्रार्थी सं. 2 मैसर्स महालक्ष्मी ट्यूबवैल स्टोर के नाम से अपना स्वतन्त्र व्यवसाय संचालित कर रहा है। इस प्रकार जवाब प्रार्थना पत्र मय काउंटर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्राथी का प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त फरमाने की कृपा करे तथा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वह अप्रार्थी सं. 2 को वादग्रस्त दुकान में प्रवेश करने, अपना स्वतंत्र व्यापार संचालित करने एवं उसके स्वतन्त्र उपयोग व उपभोग में कोई बाधा या असुविधा कारित नहीं करे, तथा उक्त दुकान में पड़ा अप्रार्थी सं. 2 का सामान खुर्द बुर्द नहीं करे, तथा अप्रार्थी से 2 को बेदखल नहीं करे। अपने कथनों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये–

- Radheyshyam Vs Nathu Lal & Ors. 2014(3)DNJ(Raj.)2017 RAJASTHAN HIGH COURT
- Wizard India Pvt. Ltd. Vs Oriental Bank of Comm. & Ors 2012(3)DNJ(Raj.)1356 RAJASTHAN HIGH COURT (JAIPUR BENCH)
- Premji Ratansey Vs Union of India 1994 SCC(5)547, 1994(6)585
- Dalpat Kumar and Anr. Vs Prahlad Singh and Ors. AIR 1993 SC 276 Supreme Court of India

<u>तथ्य संक्षेप में जवाब काउंटर क्लेम–</u>

5. इसके विपरीत प्रार्थी अशोक कुमार ने अप्रार्थी सं. 2 द्वारा प्रस्तुत काउंटर क्लेम में वर्णित तथ्यों का खंडन करते हुये जवाब काउंटर क्लेम प्रस्तुत कर कथन किया कि वादगत दुकानें प्रार्थी व अप्रार्थीगण के पिता भोमाराम की स्वअर्जित आय से निर्मित सम्पति नहीं हैं अपितु दादा की पुश्तैनी सम्पति हैं। जो दादा की मृत्यु के पश्चात पिता भोमाराम को प्राप्त हुई दुकानो का निर्माण प्रार्थी के दादा के द्वारा करवाया गया था विरास्तन सम्पति होने पर प्रार्थी के पिता ने पारिवारिक बंटवारा करते हुए सम्पति को जायज वारिसान में विभाजित कर दिया विभाजन के पश्चात वादगत सम्पति प्रार्थी के हिस्से में आई वादगत सम्पति का एकमात्र स्वामी प्रार्थी ही है अन्य किसी का कोई कब्जा व स्वामित्व वादगत सम्पति पर नहीं है। अप्रार्थी संख्या

2 का वादगत दुकानों में कोई हिस्सा व स्वामित्व नहीं है। ना ही अप्रार्थी संख्या 2 को कोई व्यवसाय उक्त दुकानो में संचालित किया जा रहा हैं दुकानों में रखा तमाम सामान प्रार्थी का ही है। प्रार्थी ने ही अपने हिस्से में आई एक दुकान जीतसिंह को किराये पर दे रखी हैं जिसका किराया भी प्रार्थी ही प्राप्त कर रहा है। अप्रार्थी सं. 2 के द्वारा मैसर्स महालक्ष्मी ट्यूबवेल का व्यवसाय वादगत दुकानों से अलग स्थान पर संचालित किया जा रहा है। अप्रार्थी संख्या 2 ने अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाने हेतु जीएसटी विभाग में प्रस्तुत आवेदन पत्र में फर्म के व्यवसाय का पता अलग स्थान अंकित किया हैं वादगत दुकानों का पता अंकित नहीं हैं हॉर्टीकल्चर विभाग में भी अप्रार्थी संख्या 2 ने अपनी फर्म के व्यवसाय संचालन का पता वादगत दुकानों का अंकित नही किया हैं इससे यह प्रमाणित है कि अप्रार्थी संख्या 2 का व्यवसाय अन्यत्र स्थान से संचालित किया जा रहा है तथा अप्रार्थी संख्या 2 का वादगत दुकानों में कोई भी सामान नही रखा हुआ है। अप्रार्थी सं. 2 ने पुलिस थाना बज्जू में एक एफआईआर 193/2025 धारा 313(1) बीएनएस अप्रार्थी सं. 1 के विरुद्ध दर्ज करवाई है जिसमें अपनी फर्म महालक्ष्मी ट्यूबवेल स्टोर का सामान रखने के लिये आरडी 860 स्थित गोदाम में रखा जाना दर्ज करवाया है। वादगत दुकानों पर प्रार्थी की फर्म अशोक आयरन स्टोर का बोर्ड लगा हुआ है अप्रार्थी सं. 2 का वादगत दुकानों में कभी कोई व्यवसाय संचालित नहीं किया गया है। अतः जवाब काउंटर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी सं. 2 का काउंटर क्लेम निरस्त फरमाया जाकर प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

<u>तथ्य संक्षेप में काउंटर क्लेम का जबाबुल जबाब–</u>

6. इसके विपरीत अप्रार्थी सं. 2 दिनेश कुमार ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत काउंटर क्लेम के जवाब में वर्णित तथ्यों का विरोध करते हुये काउंटर क्लेम का जबाबुल जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि वादगत दुकाने प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के पिता भोमाराम की पुरानी कब्जेशुदा दुकाने है जिन्हें भोमाराम ने अपनी स्वोपार्जित आय से निर्मित करवाई थी। उक्त दुकानों का भोमाराम जी ने आज तक कोई विभाजन नहीं किया। वादगत दुकानों का विद्युत कनेक्शन प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के पिता भोमाराम के नाम से जारी हो रखा है। वादगत दुकानों में से एक दुकान में अप्रार्थी सं. 2 मैसर्स महालक्ष्मी ट्यूबवैल स्टोर के नाम से ट्यूबवैल के उपयोग में आने वाले सामान का व्यवसाय करता है, जिसका वह स्वयं प्रोपराईटर है। अप्रार्थी सं. 2 की उक्त फर्म जी.एसटी विभाग से पंजीबद्ध है तथा दुकान नंबर चार में अपनी उक्त फर्म का सामान रखा हुआ है एवं गोदाम बना रखा है। दुकानों में से दुकान नं. 3 भोमाराम जी ने जीतसिंह मिस्त्री को किराये पर दे रखी है। दो दुकानों में प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 2 अपना अपना पृथक व्यापार

संचालित कर रहे हैं। अप्रार्थी सं. 2 की उक्त फर्म का जी.एस.टी विभाग द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र में वादगत दुकानों का ही पता अंकित है। वादगत दुकानों का संयुक्त रूप से प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 2 अपने–अपने स्वतंत्र व्यवसाय कर रहे हैं। उक्त दुकानों में अप्रार्थी सं. 2 की उक्त फर्म का सामान पड़ा है जिसक बिल अप्रार्थी सं. 2 ने पेश कर रखे है तथा चौथी दुकान अकेले अप्रार्थी सं. 2 के आधिपत्य में है जिसमें उसका सामान रखने का गोदाम है तथा एक दुकान भोमाराम ने अपने परिचित जीतसिंह को किराये पर दे रखी है। वादगत दुकानों का वास्तविक स्वामित्व एवं आधिपत्य भोमाराम जी का है जिन्हें प्रार्थी ने जानबूझकर वाद में पक्षकार नहीं बनाया। प्रार्थी का वाद पक्षकारों के असंयोजन के कारण चलने योग्य नहीं है। अप्रार्थी सं. 2 की फर्म मैसर्स महालक्ष्मी ट्यूबवैल स्टोर का बोर्ड लगा हुआ था परंतु प्रार्थी ने वाद दायर करने से पूर्व अप्रार्थी सं. 2 के बोर्ड को हटाकर मौके पर फोटो खींच लिये। अतः प्रार्थी के काउंटर क्लेम के जवाब का जबाबुल जबाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी का वाद सव्यय निरस्त फरमाते हुये अप्रार्थी सं. 2 का काउंटर क्लेम स्वीकार फरमावे।

7. बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। प्रार्थी के प्रार्थनापत्र के निस्तारण के संबंध में निम्नलिखित तीन बिन्दुओं पर विचार किया जाना आवश्यक है:–

(1) प्रथम दृष्टया मामला, (2) सुविधा का संतुलन एवं (3) अपूरणीय क्षति।

<u>प्रथम दृष्टया मामलाः–</u>

8. प्रथम दृष्टया मामला से अभिप्राय यह है कि क्या प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के जरिये ऐसा कोई सारवान प्रश्न उठाया गया है जिसके लिए न्यायालय द्वारा आगे जांच एवं अनुसंधान की आवश्यकता है।

इस संबंध में प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी के पिता भोमाराम के पुश्तैनी सम्पति का उसके द्वारा मौखिक पारिवारिक बंटवारा कर दिया गया है तथा इसमें विवादित चार दुकान/गोदाम प्रार्थी के पक्ष में आई है जिस पर वह काबिज है तथा अपना अशोक आयरन स्टोर के नाम से उक्त दुकानों/गोदाम में व्यवसाय करता आ रहा है तथा अप्रार्थी सं. 1 के मन में बदनियत आने से वह उसे बेदखल करने पर आमादा है। ऐसे में अप्रार्थी सं. 1 के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। प्रार्थी द्वारा अपने तर्कों के संबंध में अशोक आयरन स्टोर फर्म का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, दुकानों के फोटोग्राफ्स, दुकान में रखे सामान के बिल तथा उसके एकमात्र स्वामित्व के संबंध में आस–पास के लोगों के शपथ पत्र पेश किये हैं। वहीं अप्रार्थी सं. 1 द्वारा मात्र यह कथन किया गया कि वह मौखिक

बंटवारा मानता है किन्तु वह प्रार्थी को विवादित दुकानों से बेदखल नहीं कर रहा है तथा इस आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया। अप्रार्थी सं. 2 द्वारा अपने जवाब मय काउंटर क्लेम के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को तर्कों के रूप में दोहराते हुये कथन किया कि विवादित दुकानें उनके पिता भोमसिंह की स्वअर्जित संपत्ति है। उक्त दुकानें पुश्तैनी नहीं है तथा उनके पिता भोमाराम ने उक्त दुकानों का बंटवारा नहीं किया है। उक्त दुकानों में से दो दुकानों में प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 2 का श्यामलाती कब्जा है तथा वे उक्त दुकानों में अपना–अपना व्यवसाय चलाते हैं। अप्रार्थी की महालक्ष्मी ट्यूबवैल नाम से रजिस्टर्ड फर्म है जिसका माल भी उक्त दुकानों में रखा है। प्रार्थी ने अप्रार्थी की दुकान का बोर्ड हटा दिया है। तीसरी दुकान पिता भोमाराम ने परिचित जीतसिंह को लेथ मशीन का काम करने हेतु किराये पर दे रखी है तथा चौथी दुकान अप्रार्थी के सामान के लिये गोदाम हेतु उपयोग में ली जा रही है, जिसमें उसका सामान भी पड़ा है। अप्रार्थी सं. 2 के अधिवक्ता ने न्यायालय द्वारा आदेशित मौका कमिश्नर रिपोर्ट का भी हवाला दिया तथा कथन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे तथा प्रार्थी के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष दिया जावे। अपने तर्कों के संबंध में अप्रार्थी ने फर्म का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वादग्रस्त दुकान पर महालक्ष्मी बोर्ड लगी फोटो, शपथ पत्र भोमाराम व अन्य व्यक्ति, दुकान में रखे सामान का बिल, जीतसिंह के साथ ट्रांजेक्शन के कागजात, बिजली बिल इत्यादि दस्तावेज पेश किये। अधिवक्ता प्रार्थी ने जवाब काउंटर क्लेम के तर्कों को दोहराते हुये अप्रार्थी सं. 2 के कथनों को अस्वीकार तथा कथन किया कि वादगत दुकानों व गोदाम वादी के दादा द्वारा अपने जीवनकाल में निर्मित है तथा अप्रार्थी सं. 2 का उक्त दुकान/गोदाम पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं है। अप्रार्थी सं. 2 ने जबाबुल जबाब पेश कर कथन किया कि उसका कब्जा उपरोक्त कथनों व मौका कमिश्नर रिपोर्ट से पुष्ट होता है तथा प्रार्थी द्वारा अपने भाई अप्रार्थी सं. 1 के साथ Collusive Suit पेश किया है।

उभय पक्षकारान के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा सुसंगत विधि का अध्ययन किया गया। पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन किया गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय यह पाता है कि विवादित चार दुकानों के संबंध में प्रार्थी व अप्रार्थी सं.2 के भिन्न–भिन्न कथन है। प्रार्थी यह कथन करता है कि उक्त भूखण्ड उसके पिता का पुश्तैनी भूखण्ड है तथा उसके दादा द्वारा निर्मित है। वहीं अप्रार्थी सं. 2 द्वारा यह कथन किया गया है कि उक्त दुकानें पुश्तैनी ना होकर उनके पिता भोमाराम की कब्जेशुदा, स्वअर्जित सम्पति है किन्तु प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 2 द्वारा भूखण्ड पुश्तैनी अथवा स्वअर्जित होने के संबंध में कोई दस्तावेजात न्यायालय में पेश नहीं किये

हैं। अतः उक्त बिन्दु प्रकरण के इस स्तर पर तय नहीं किया जा सकता है। दूसरा, मुख्य बिन्दु कब्जे के संबंध में है। प्रार्थी द्वारा विवादित दुकानों पर एकमात्र अपना कब्जा बताया है। वहीं अप्रार्थी सं. 2 द्वारा दो दुकानों पर प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 2 का श्यामलाती कब्जा बताया है। तीसरी दुकान लेथ मशीन के व्यवसाय हेतु भोमाराम द्वारा जीतसिंह को किरोय पर देना बताया है तथा चौथी दुकान के संबंध में प्रार्थी और अप्रार्थी सं. 2 अपना–अपना स्वयं का एकमात्र कब्जा बताते हैं। उक्त दोनों पक्षकारों द्वारा कब्जे के संबंध में दुकानों में रखे सामान के बिल पेश किये हैं। इस संबंध में न्यायालय द्वारा आदेशित मौका कमिश्नर रिपोर्ट को इस स्तर पर किसी भी पक्षकार द्वारा आक्षेपित नहीं किया है, जिसका अवलोकन करना न्यायोचित प्रकट होता है। उक्त रिपोर्ट में दुकान सं. 1 व 2 में सामानों की लिस्ट पेश की है। उक्त के संबंध में दोनों ही पक्षों द्वारा बिल पेश किये हैं, जिससे प्रथमदृष्टया दोनों ही पक्षकारान का श्यामलाती कब्जा प्रकट होता है। इसके अलावा मौका कमिश्नर रिपोर्ट में तीसरी दुकान में मात्र लेथ मशीन रखा होना दर्शित होता है, जिससे उक्त दुकान पर उक्त दोनों पक्षकारान का कब्जा प्रथम दृष्टया प्रकट नहीं होता है तथा चौथी दुकान के संबंध में भी मौका कमिश्नर द्वारा सामान की सूची पेश की है किन्तु दोनों ही पक्ष द्वारा एकमात्र कब्जा होना बताया है। उक्त विवादित दुकान के संबंध में इस स्तर पर पेश दस्तावेजात से यह तय नहीं किया जा सकता है कि पक्षकारान में से किसका एकमात्र कब्जा है। इसके अलावा अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उक्त दुकानों/गोदाम पर उसका कब्जा नहीं है। ऐसे में दुकान सं. एक, दो के संबंध में आंशिक रूप से प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 2 का प्रथमदृष्टया मामला बनना पाया जाता है तथा मौका कमिश्नर रिपोर्ट के अवलोकन से दुकान सं. तीन, चार के संबंध में प्रथमदृष्टया मामला नहीं बनना पाया जाता है।

<u>सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षतिः–</u>

9. उक्त दोनों बिन्दुओं को सुविधा की दृष्टि से एक साथ निस्तारित किया जा रहा है। चूंकि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 2 का मौका रिपोर्ट अनुसार दुकान सं. एक व दो के संबंध में प्रथमदृष्टया मामला आंशिक रूप से बनना पाया जाता है। अतः इस स्तर पर वादकारण को सुरक्षित रखना आवश्यक प्रतीत होता है तथा यदि इस स्तर पर प्रार्थी व अप्रार्थी को उक्त के संबंध में पाबंद नहीं किया गया तो आगे वाद की पेचीदगियां बढ़ेंगी तथा वाद बाहुल्यता बढ़ेंगी और उक्त पक्षकारान को अपूर्णनीय क्षति कारित होगी। अतः सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में आंशिक रूप से तय किये जाते हैं।

10. चूंकि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में आंशिक रूप से तय किये गये हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र व अप्रार्थी सं. 2 का काउंटर टी.आई आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है तथा अप्रार्थी सं. 1 द्वारा चाहा अनुतोष खारिज किया जाता है।

:: आदेश ::

11. अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सिविल प्रक्रिया संहिता विरूद्ध अप्रार्थीगण तथा अप्रार्थी सं. 2 की ओर से प्रस्तुत काउंटर टी.आई का अनुतोष आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा मौका कमिश्नर रिपोर्ट अनुसार दुकान सं. एक व दो पर उभयपक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वह मौका कमिश्नर में आई रिकॉर्ड मौके की यथास्थिति बनाये रखे तथा उक्त में कोई परिवर्तन न करें। इसके अलावा मौका कमिश्नर रिपोर्ट अनुसार दुकान सं. 1 व 2 में प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 2 एक–दूसरे के स्वतंत्र व्यवसाय में बाधा उत्पन्न ना करे। प्रार्थना–पत्र का व्यय मूल वाद पर निर्भर करेगा।

(पारूल पारीक)
सिविल न्यायाधीश
श्रीकोलायत

12. निर्णय व आदेश आज दिनांक **13.03.2026** को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(पारूल पारीक)
सिविल न्यायाधीश
श्रीकोलायत